दिनांक 11.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद सिद्धार्थनगर से रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शुभम कुमार गिरफ्तार।

दिनांक 10–06–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2024 धारा 409, 120बी, 467, 468, 471 भा0द0वि0 में वांछित 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शुभम कुमार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

शुभम कुमार चौधरी पुत्र दीनानाथ चौधरी निवासी सेहुडाखुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

चारबाग फुट ओवरब्रिज के पास, थाना क्षेत्र नाका, लखनऊ, दिनांकः 10–06–2025, समय 16:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना शिवनगर डिडई, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मुकदमें में वांछित रूपये 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शुभम कुमार चारबाग फुट ओवरब्रिज के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक श्री पवन कुमार सिंह, मु0आ0 रमाशंकर चौधरी, मु0आ0 चेतन सिंह, मु0आ0 राघवेन्द्र तिवारी, आरक्षी सुधीर कुमार द्वारा चारबाग फुट ओवरब्रिज के पास, थाना क्षेत्र नाका, लखनऊ से अभियुक्त शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम कुमार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह सोहराब राईस मिल सेहुडाखुर्द बस्ती में काम करता था, उसके बाद वही से सरकारी धान/गेहू क्रय केन्द्र डीसीएफ सेम्हरानी सिद्धार्थनगर का प्रभारी बनाया गया था। इस दौरान लगभग 12 लाख रू0 का गमन हुआ था, जिसके सम्बन्ध में थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर मुम्बई चला गया था। अपने एक मित्र की शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना शिवनगर डिडई, जनपद सिद्धार्थनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2024 धारा 409, 120बी, 467, 468, 471 भा0द0वि0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही जनपद स्तर पर गठित एसआईटी टीम द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 11–06–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1), 3(5), 318(4), 336(3), 338, 340 (2), 61(2) (क) बीएनएस व 3/5/25/27/25(8) आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त सारिक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। उक्त अभियोग की विवेचना एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सारिक पुत्र गुडडू उर्फ अब्दुल वाजिद निवासी म0नं0 307 गली नं0–08 मो0 जाकिर कालोनी, थाना लोहियानगर, जनपद मेरठ।

बरामदगी–

02 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनांक 11–06–2025, समय 01.20 बजे रात्रि बजे स्थान–मोहल्ला जाकिर कालोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध हथियारो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 23–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा अभियुक्त रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहड्डा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 17 अवैध बन्दूको एवं 700 कारतूस सहित गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में अभियोग पंजीकृत कराकर जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 20–12–2024 को अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को 01 अदद US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINGHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर एवं 01 अदद पम्प गन रिपीट 12 बोर के साथ एवं दिनांक 13–05–2025 को उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र जगदीश निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व दिनांक 29–05–2025 को अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू दाढी पुत्र श्याम सिंह नि0 मौ0 बालमुकन्द पुरी गली नं0 7 बिनौली रोड बडौत थाना बडौत जनपद बागपत को गिर0 कर जेल भेजा गया था।

उक्त गैंग का सदस्य अक्षय उर्फ भूरा पुत्र प्रेमपाल नि0 ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत दिनांक 02.06.2025 को हाजिर अदालत होकर जेल जा चुका हैं।

दिनांक 11–06–2025 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री जयवीर सिंह, हैड कान्स0 रकम सिंह, हेड कान्स0 भूपेन्द्र सिंह, हेड कान्स0 रोमिश तोमर की टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में भ्रमणषील थी। इस दौरान सूचना मिली कि अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त सारिक अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान से अभियुक्त सारिक उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी संक्षिप्त पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं–

- गिरफ्तार अभियुक्त सारिक पूर्व में गुरबक्स गन हाउस मेरठ पर हथियारों की मरम्मत किये जाने हेतु नौकरी करता था। वह एवं उसके साथी रोहन नि0 लोहडडा थाना बडौत बागपत, अनिल बालियान उर्फ बंजी निवासी सिसौली जिला मु0नगर व रिजवान, इमरान काफी समय से एक राज्य से दूसरे राज्य में अवैध हथियार की तस्करी का कार्य करते थे।
- करीब 7 माह पहले सारिक व उसके साथी अनिल बालियान उर्फ बंजी व रोहन तथा रिजवान व इमरान उपरोक्त मिलकर मरहट्टा गन हाउस अटारी रोड खासा जिला अमृतसर पंजाब वालो से 17 बन्दूक 12 बोर एवं 700 कारतूस 315 बोर बेचने के उददेश्य से खरीदकर लाये थे, जिसमें प्रति बन्दूक (12 बोर) 40 से 50 हजार रूपये दिये थे तथा 315 बोर के प्रति कारतूस 100 रूपये दिये थे।
- मरहट्टा गन हाउस वाले ने उपरोक्त हथियार व कारतूस की किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी रशीद काटकर दी थी तथा वह फर्जी रशीदे अनिल बालियान उर्फ बंजी ने अपने पास रख ली थी।
- उक्त बन्दूको मे से प्रति बन्दूक 80 हजार रूपये से 01 लाख रूपये तक तथा प्रति कारतूस 200 से 250 रूपये में बेचे जाने थे।
- इससे पहले भी अभि0 सारिक व उसके उपरोक्त साथियों द्वारा .30 बोर के पिस्टल एक लाख रूपये में खरीदकर डेढ़ लाख रूपये प्रति पिस्टल अपने परिचितो को बेचा जाता था।
- माह नवम्बर 2024 मे पंजाब से लायी गयी 12 बोर की 17 बन्दूके व 315 बोर के 700 कारतूस रोहन के परिचित व्यक्ति को देने के लिए मेरठ खिर्वा रोड पर ग्राम पोहली तिराहे पर आये थे तभी वहां पर अचानक एसटीएफ टीम आ गयी थी। जहॉ से गिर0 अभियुक्त सारिक उपरोक्त व उसके साथी रिजवान, इमरान, अनिल बालियान उर्फ बंजी मौके से भाग गये थे तथा इसके साथी रोहन को एसटीएफ टीम द्वारा 12 बोर की 17 बन्दूके व 315 बोर के 700 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।

- गिर0 अभियुक्त सारिक ने अपने साथियों के साथ थाना देहली गेट जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत नासिर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देहली गेट, मेरठ पर मु0अ0सं0 255/16 धारा 302 भादवि पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1)/3(5)/318(4)/336(3)/338/340 (2)/61(2) (क) बीएनएस व 3/5/25/ 27/25(8) आर्म्स एक्ट पंजीकृत हैं अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिर0 अभियुक्त सारिक का अपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	225/16	302 भादवि	देहली गेट	मेरठ
2	235/19	2/3 गैगस्टर एक्ट	देहली गेट	मेरठ
3	693/2024	109(1)/3(5)/318(4)/336(3)/338/340 (2)/61(2) (क) बीएनएस व 3/5/25/ 27/25(8) आर्म्स एक्ट	कंकरखेडा	मेरठ

<u>एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट आगरा</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 51 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 इर्टिगा कार बरामद**

दिनांक 10.06.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निहाल सिंह की पुलिया थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद से 04 अभियुक्तों 1–रवि कुमार 2–रामबाबू उर्फ जीतू 3–ईश्वर उर्फ छोटा 4–प्रहलाद उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 51 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 इर्टिगा कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि कुमार निवासी गुंती थाना बहरोड जनपद अलवर राजस्थान।

2–रामबाबू उर्फ जीतू निवासी दहमी थाना बहरोड जनपद अलवर राजस्थान।

3–ईश्वर उर्फ छोटा निवासी दौलत सिंह पुरा थाना बहरोड जनपद अलवर राजस्थान।

4–प्रहलाद उर्फ मनोज निवासी नागल नुनिया जनपद महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 51 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 इर्टिगा कार।

जनपद अमरोहा/थाना नौगावां

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 20 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **13 हजार 510 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 10.06.2025 को थाना नौगावां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सुल्तानपुर आम के बाग के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–नाजिम उर्फ टाईगर उर्फ रहबू 2–डालर उर्फ अहमद उर्फ दौलत उर्फ रहमत 3–दानिश उर्फ चच्चा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 20 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 13 हजार 510 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नाजिम उर्फ टाइगर उर्फ रहबू के विरूद्ध जनपद अमरोहा, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त डालर उर्फ अहमद उर्फ

दौलत उर्फ रहमत के विरूद्ध जनपद अमरोहा, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त दानिश उर्फ चच्चा के विरूद्ध जनपद जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौगावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नाजिम उर्फ टाईगर उर्फ रहबू निवासी तुर्तीपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल।

2–डालर उर्फ अहमद उर्फ दौलत उर्फ रहमत निवासी आदमपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

3–दानिश उर्फ चच्चा निवासी तुर्तीपुरा थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 20 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–13 हजार 510 रूपये नगद।

- **जनपद प्रतापगढ़/थाना संग्रामगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–छोटे उर्फ साजिद 2–सदाशिव 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना चन्दपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना चन्दपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त 1–भोला 2–इरफान को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कड़ाधाम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कड़ाधाम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/328 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवशंकर को आजीवन कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेहीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामसनेहीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/18/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जय प्रकाश उर्फ किन्नी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————